फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

वादमान बनाम गिरधारी वगै०

मुकदमा नम्बर :– 70/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	03/5/24	वकील वादी उप० / प्रतिवादी सं. 4,9,11 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं होने पर उ.टा. निरस्त की जाती है व प्रतिवादी सं. 3,5 ता 8, 10, 12 ता 23 की रपि० एडि० रमी है पेश की जो 2 माह से अधिक की हो चुकी है इनकी ओर से कोई उप० नहीं है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 20/6/24 को पेश हो।	
	20/6/24	वा.कु.उप. / पत्रावली वास्ते जवाब हेतु आगामी दिनांक 19/7/24 को पेश हो।	
	19/7/24	वा.कु.उप. / जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28/8/24 को पेश हो।	
	28/8/24	पत्रावली पेश है। न्यायालय का समय समाप्त होने तक वकील वादी के बार बार आवाज दिलायी गयी वकील वादी न्यायालय व वकालतनामे अनुपस्थित है अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही पत्रावली पत्रावली के स्थानान्तरण की जाती है पत्रावली दाखिल दफ्तर दफ्ती नम्बर से की हो। दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)